पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2023 ई0 (चैत्र 04, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–12

फार्म नं0 4
(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।
4–प्रकाशक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार हों।	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, अपर निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	333–370	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	109–111	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	247–253	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 103010/XXXVIII-1-23-13(11)/2001–राज्यपाल, उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 03 की उपधारा (1) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध एवं प्रतिषेध अधिरोपित करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–84/XXXVIII–1–20–13(11)–2001, दिनांक 16 फरवरी, 2021 के प्रस्तर–1 (क) में निम्नानुसार संशोधन करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

विद्यमान प्रस्तर	एतद्द्वारा यथासंशोधित प्रस्तर
1 (क) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक / थर्मोकोल / स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगा:– (एक) किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग : *परन्तु बायो–कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।* (दो) थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, काँटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों। (तीन) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य / तरल पदार्थ को ढकने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।	1 (क)(एक) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–571 (अ), दिनांक 12.08.2021 में निषिद्ध प्लास्टिक उत्पादों / अन्य सामग्रियों के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगा। 1 (क)(दो) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–571 (अ), दिनांक 12.08.2021 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई एक सौ बीस (120) माइक्रोन से कम नहीं होगी तथा गैर–बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नही होगा।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.103010/XXXVIII-1-23-13(11)/2001 Dated February 28, 2023 for general information.

NOTIFICATION

February 28, 2023

No.103010/XXXVIII-1-23-13(11)/2001--In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section-3 of the Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013, the Governor is pleased to allow to amend the following para-1(a) of notification No- 84/XXXVIII-1-20-13(11)-2001,dated 16.02.2021, issued by Government of Uttarakhand to impose restriction and prohibition onplastic in the State of Uttarakhand:-

Existing Para	Para hereby substituted
1. (a) No person, by himself or through another, shall knowingly or otherwise, sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute the following plastic/thermocol/Styrofoam items in the entire state of Uttarakhand. (i) Polythene carry bags of any shape (with or without handle), thickness, size& colour; and non-woven poly propylene bags *Provided above restriction shall not be applicable on bio-compostable plastic bags and polybags more than 50 micron thickness used for handling, collection, transportation of the waste such as bio medical waste, municipal solid waste and hazardous waste.* (ii) Single use disposable cutleries made up of thermocol (polystyrene), polyurethane, Styrofoam and the like; or plastic such as plate,tray, bowl, cup, glass, spoon, fork, straw, knives, stirrer etc. of any size and shape. (iii) Single use food packaging containers made up of recycled plastics of any size, shape, thickness and colour used to cover, carry, store food/liquid items.	1. (a) (i) No person, by himself or through another, shall sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute the plastic products/other materials prohibited in the notification number-571(E), dated 12.08.2021, of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India in the whole state of Uttarakhand. 1. (a) (ii) In continuation of Government of India's notification no.-571(E), dated 12.08.2021, the thickness of any carry bag made of unused or recycled plastic shall not be less than one hundred and twenty (120) microns and non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM) in the state of Uttarakhand.

By Order,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary.

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति / तैनाती

02 फरवरी, 2023 ई०

संख्या I/103734/2023–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पदोन्नति के परिणाम स्वरूप चयनित निम्नलिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/– (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान रू0 56100–177500 लेवल 10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती निम्न तालिका के स्तम्भ–3 से स्तम्भ–4 में उल्लिखित उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में की जाती है। विकास खण्डों में तैनाती सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा की जायेगी:–

क्र.सं.	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद
1	2	3	4
1.	श्री सोहन लाल कोहली	पौड़ी	टिहरी
2.	श्री जगदीश सिंह रावत	देहरादून	देहरादून
3.	श्री पन्ना लाल	रूद्रप्रयाग	चमोली
4.	श्री किशन राम आर्य	अल्मोड़ा	बागेश्वर
5.	श्री महेश चन्द्र परगई	चम्पावत	पिथौरागढ़
6.	श्री दीवान सिंह कन्याल	पिथौरागढ़	नैनीताल
7.	श्री नवीन चन्द्र उपाध्याय	ऊधमसिंह नगर	पौड़ी
8.	श्री बसन्त बल्लभ जोशी	चम्पावत	ऊधमसिंह नगर

2. उक्त पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद में योगदान करने के उपरान्त् कार्यभार प्रमाणक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौडी एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,

सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

17 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 100140/XXVIII-2023-ई0–45928/2022–मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधित) अधिनियम 2021 की संशोधित धारा–3 की उपधारा धारा–2(C) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार उपधारा 2(D) के अनुसार राज्य के गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल हेतु निम्नानुसार मेडिकल बोर्ड का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. गढ़वाल मण्डल हेतु–राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून:–

(1) विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ/वरिष्ठ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।

(2) विभागाध्यक्ष, बाल रोग विशेषज्ञ/वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ।

(3) विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजिस्ट अथवा सोनोलॉजिस्ट/वरिष्ठ, रेडियोलॉजिस्ट अथवा सोनोलॉजिस्ट।

(4) अन्य विशेषज्ञों को केस के आधार पर बुलाया जायेगा।

2. कुमाऊं मण्डल हेतु–राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी:–

(1) विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ/वरिष्ठ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।

(2) विभागाध्यक्ष, बाल रोग विशेषज्ञ/वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ।

(3) विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजिस्ट अथवा सोनोलॉजिस्ट/वरिष्ठ, रेडियोलॉजिस्ट अथवा सोनोलॉजिस्ट।

(4) अन्य विशेषज्ञों को केस के आधार पर बुलाया जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 आर. राजेश कुमार,

सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 228/XL-1/2023-18/2004–आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या–T-20020/9/2020-DCC दिनांक 31.10.2022 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, औषधियों एवं प्रशाधन नियमावली, 1945 के नियम–154(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1945 की धारा–33P के प्राविधानान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं औषधि के विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) जारी किये जाने हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–100/XL-1/2022-18/2004 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा विशेषज्ञों के पैनल जो दिनांक 31.01.2023 को समाप्त हो गया।

अतः उक्तवत् प्राविधानुसार निम्न विशेषज्ञों का पैनल तत्काल प्रभाव से 01 वर्ष तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1	राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।	अनुज्ञापन प्राधिकारी	अध्यक्ष
2	डॉ0 डी0सी0सिंह, प्रो0 द्रव्यगुण विभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार।	द्रव्यगुण विशेषज्ञ	सदस्य
3	डॉ0 राजीव कुरेले, एसोसिएट प्रोफेसर रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर देहरादून।	रसशास्त्र विशेषज्ञ	सदस्य
4	डॉ0 डी0डी0 बघानी, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	औषधि नियंत्रण तंत्र	सदस्य सचिव।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

अधिसूचना

10 मार्च, 2023 ई0

संख्या 125/VI-4/2022-01(09)06–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2023

भाग 1– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2023 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अभिप्रेत है।
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता हो;
(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(घ) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;
(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;
(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग 2– संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में सदस्यों की संख्या तथा उसमें प्रत्येक के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में सदस्यों की संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के

अधीन आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी जितनी कि इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में दी गयी है।

परन्तु यह कि :–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार न होगा, या

(ii) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग 3– भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न संवर्गों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी – शत प्रतिशत पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।

(2) व्यायाम प्रशिक्षक– शत प्रतिशत पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4– अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिये, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्व तंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ

8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नानुसार अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(1) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।

(2) व्यायाम प्रशिक्षक :–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(ii) एन0आई0एस0 पटियाला या उससे संबद्ध अन्य एन0आई0एस0 संस्थान से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर (पी0जी0) डिप्लोमा धारक।

अथवा

बी0पी0एड0 / डी0पी0एड0 / बी0पी0ई0 व निम्न में से कोई एक :–

(क) ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व।

(ख) अखिल भारतीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व।

(ग) एक खिलाड़ी के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग।

(3) अर्हकारी शारीरिक दक्षता :–

(एक) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी:–

नियम 13 में वर्णित शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करने वाले पुरूष व महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की निम्न विधाओं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे :–

पुरूष अभ्यर्थी के लिए

क्र0सं0	मद का नाम	न्यूनतम मानक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	200 मीटर दौड़	30 सैकेण्ड	10	10
		28 सैकेण्ड	15	
		26 सैकेण्ड	20	
		24 सैकेण्ड	25	
2	लम्बी कूद	3.5 मीटर	10	10
		4.00 मीटर	15	
		4.5 मीटर	20	
		5.00 मीटर	25	
3	ऊँची कूद	1.05 मीटर	10	10
		1.20 मीटर	15	
		1.35 मीटर	20	
		1.50 मीटर	25	
4	गोला फेंक (12 पॉण्ड का गोला)	6.00 मीटर	10	10
		7.00 मीटर	15	
		8.00 मीटर	20	
		9.00 मीटर	25	

महिला अभ्यर्थी के लिए

क्र0सं0	मद का नाम	न्यूनतम मानक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	200 मीटर दौड़	34 सैकेण्ड	10	10
		32 सैकेण्ड	15	
		30 सैकेण्ड	20	
		28 सैकेण्ड	25	
2	लम्बी कूद	3.0 मीटर	10	10
		3.50 मीटर	15	
		4.00 मीटर	20	
		4.50 मीटर	25	
3	क्रिकेट बॉल थ्रो	12 मीटर	10	10
		13 मीटर	15	
		13.5 मीटर	20	
		14 मीटर	25	
4	स्कीपिंग रोप (रस्सी कूदना) प्रति मिनट	55 बार	10	10
		60 बार	15	
		65 बार	20	
		70 बार	25	

टिप्पणी–

1– उपर्युक्त समस्त चार मदो में न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सफल माने जायेंगे और यदि कोई अभ्यर्थी केवल तीन मदो में उपस्थित होता है और 45 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह भी सफल माना जायेगा/जायेगी।

2– असफल अभ्यर्थियों के स्थान पर नये अभ्यर्थी रख दिये जायेंगे।

3– अभ्यर्थी विभिन्न मदों में उसके द्वारा किये गये प्रदर्शन के अनुरूप उक्त तालिकाओं के आधार पर ही समानुपातिक अंक प्राप्त करेगा।

(दो) व्यायाम प्रशिक्षक :–

नियम 13 में वर्णित शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करने वाले पुरूष व महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की निम्न विधाओं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे :–

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

(एक) भारतीय व्यायाम

क्र0सं0	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	मलखंभ	25 अंक	अभ्यर्थी को तीनों मदों में न्यूनतम 60 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	आसन	25 अंक	
3	मुगदर	25 अंक	

(दो) जिम्नास्टिक

क्र0सं0	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	पैरेलल–बार	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त पांच मदों में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	होरिजेन्टल बार	25 अंक	
3	वाल्टिंग हॉर्स	25 अंक	
4	पामेल्ड हार्स	25 अंक	
5	फ्लोर एक्सरसाईज	25 अंक	

महिला अभ्यर्थियों के लिए

(एक) भारतीय व्यायाम

क्र0सं0	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	आसन	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त दोनो मदों में न्यूनतम 33 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	मुगदर	25 अंक	

(दो) जिम्नास्टिक

क्र0सं0	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	वाल्टिंग हार्स	30 अंक	अभ्यर्थी को समस्त चार मदों में न्यूनतम 60 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	फ्लोर एक्सरसाईज	30 अंक	
3	बैलेन्सिंग बीम	30 अंक	
4	अनइवन बार	30 अंक	

अधिमानी अर्हताएं	9	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने – (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम् अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो या (3) जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो, या (4) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी के पद के सम्बन्ध में भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को संगठन में विकास खण्ड कमाण्डर या हल्का सरदार या दलपति के रूप में कम से कम 03 वर्ष की सेवा की हो।
अनिवार्य/वांछनीयअर्हता	9(क	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 समय–समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार होंगी।
आयु	10.	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए: परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जाय के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय
चरित्र	11.	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा। **टिप्पणी** :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	12.	नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हैं: परन्तु यह कि सरकार किसी पुरूष या महिला को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।
शारीरिक स्वस्थता	13.	(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। (2) किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–I, भाग–II के अध्याय–I। में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा। (3) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक के पदों के लिए शारीरिक मापदण्ड की न्यूनतम अपेक्षायें निम्नलिखित होंगी :– (एक) पुरूष अभ्यर्थी :– (क) सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई 165 सेमी0 (ख) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई 160 सेमी0 (ग) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई 157.5 सेमी0 (घ) सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना :– (1) बिना फुलाए 78.8 सेमी0

(2) फुलाकर 83.8 सेमी0

(ङ) पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना :–

(1) बिना फुलाए 76.3 सेमी0

(2) फुलाकर 81.3 सेमी0

नोट :– कम से कम 05 से0मी0 का फुलाव आवश्यक है।

(दो) महिला अभ्यर्थी :–

(क) सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम लम्बाई 152 सेमी0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई 147 सेमी0

नोट :– वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

भाग 6– भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देगा

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) इस नियमावली के अन्तर्गत पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 के अनुसार होगी

(2) आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा की जायेगी तथा अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का नियम 13 में उल्लिखित शारीरिक मापदण्ड तथा नियम 6 के उपनियम (3) में उल्लिखित शारीरिक दक्षता का परीक्षण निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा कराया जायेगा :–

(एक) जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी– अध्यक्ष

(दो) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य

(तीन) जिला क्रीड़ा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य

(चार) जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी– सदस्य सचिव

परन्तु यह कि व्यायाम प्रशिक्षक के पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए समिति एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में भारतीय व्यायाम के एक विशेषज्ञ को सहयोजित करेगी

(3) चयन समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं की गयी संस्तुति के आधार पर आयोग द्वारा शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जायेगा तथा निर्धारित शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करने वाले एवं तत्पश्चात क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा व व्यायाम प्रशिक्षक हेतु व्यायाम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करेगा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) आयोग द्वारा तैयार की जायेगी सूची में नामों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी :– प्रतियोगी परीक्षा के लिए नियम और पाठ्यक्रम समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे

भाग 8– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उस ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाय,

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी रिक्तियों में उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्ति कर सकता है, यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से तदर्थ आधार पर ऐसी रिक्तियों में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो नियुक्तियां कर सकता है एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए आयोग व शासन के अनुमोदन के बिना ऐसी नियुक्तियां नहीं की जा सकेंगी।

परिवीक्षा

17. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे पृथक-पृथक मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगा, जिसमे जब तक कि अवधि बढ़ायी गयी है दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

परन्तु यह कि आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हों किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

18. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि उसने :-

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो ,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक हो ,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो तथा,

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

19. सेवा में किसी भी संवर्ग के पद पर किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली 2002" के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा

भाग 7 - वेतन इत्यादि

वेतनमान

20. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान वे होंगे जैसा परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं

परिवीक्षा के दौरान वेतन

21 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे 01 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त होने पर जहां विहित हो समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8– अन्य उपबन्ध

अधियाचन

22. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

24. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये उचित समझे

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

25. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट "क"

(नियम–4 का उपनियम–2 एवं नियम–20 का उपनियम–2 देखिये)

क0सं0	पद का नाम	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन(रू0)	पदो की संख्या
01.	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	लेवल–5 29,200–92 300	95
02	व्यायाम प्रशिक्षक	लेवल–5 29,200–92,300	63

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,

सचिव।

n pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of Ind a the Governor is pleased to order the pub cation of the fo owing Eng ish translation of Notification No.125/Vi-4/2022-01(09)06 Dehradun Dated March 10 2023 for genera information

NOTIFICATION

March 10, 2023

No 125/VI-4/2022-01(09)06--In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and n supersession of all ex st ng ru es and orders on the subject the Governor is pleased to make the fo low ng rules regulat ng recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Youth Welfare and Prantiya Rakshak Da Subord nate Service namely -

The Uttarakhand Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Subordinate Service Rules, 2023

PART I -General

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Youth Welfare and Prantiya Rakshak Da. Subordinate Service Rules, 2023

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service 2. The Uttarakhand Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Subordinate Service is a service comprising Group "C" posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Appointing authority" means Director, Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal ;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the "Constitution of India";

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Commission" means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(e) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(g) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) "Service" means the Uttarakhand Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Subordinate Service ;

(i) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(j) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II— Cadres

Cadre of the Service

4. (1) The strength of the service and each categories of post therein shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and each categories of posts shall, until orders varying the same as passed under sub-rule (1) be such as given in the Appendix 'A'

Provided that;-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation,

(ii) The Governor may create such additional temporary or permanent posts as he may consider proper.

PART III—Recruitment

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

(1) **Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer** – hundred percent posts by direct recruitment through the Commission.

(2) **Vyayam Prashikshak** - hundred percent posts by direct recruitment through the Commission.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to the State of Uttarakhad shall be in accordance with the order of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV— Qualification

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to the category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to the category (b) above shall be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, the certificate of eligibility shall not be issued for more than one year and the retention of such candidate retain service beyond one year shall be subject to acquiring Indian citizenship.

Note– A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and may be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour

Academic Qualification

6. A candidate must have following qualifications for direct recruitment to the posts of various categories :-

(1) **Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer**- Graduation degree from any recognized University or any other qualification affiliated by Government equivalent thereto

(2) Vyayam Prashikshak-

(i) Graduation degree from any recognized University.

(ii) Diploma in training (coaching) from NIS Patiala or other NIS institutions affiliated with it or Post Graduate Diploma in sports coaching from Laxmibai National Physical Education Instititon (deemed university), Gwalior.

Or

B.P.Ed/ D.P.Ed/ B.P.E. and any one of following-

(a) Representation at National level in rural sports competition.

(b) Representation at National level from a State school in All India School Sports Competition.

(c) Participation as a team member of university in Inter University Sports Competitons.

(3) Essential Physical efficiency:

(i) Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer-

Male and female candidates fulfilling the physical criteria mentioned in rule 13 shall need to attain the prescribed minimum marks in following genres:

For male candidate :

S.N	Name of event	Minimum standard	Maximum marks	Minimum required marks
1	200 meter race	30 second	10	
		28 second	15	
		26 second	20	10
		24 second	25	
2	Long Jump	3.5 meter	10	
		4.00 meter	15	
		4 5 meter	20	10
		5.00 meter	25	
3	High Jump	1.05 meter	10	
		1.20 meter	15	
		1 35 meter	20	10
		1.50 meter	25	
4	Shot Put (12 ponds)	6.00 meter	10	
		7.00 meter	15	
		8.00 meter	20	10
		9.00 meter	25	

For female candidate:

S.N.	Name of event	Minimum standard	Maximum marks	Minimum required marks
1	200 meter race	34 second	10	
		32 second	15	
		30 second	20	10
		28 second	25	
2	Long Jump	3 0 meter	10	
		3 50 meter	15	
		4.00 meter	20	10
		4.50 meter	25	
3	Cricket Ball throw	12 meter	10	
		13 meter	15	
		13.5 meter	20	10
		14 meter	25	
4	Skipping Rope per minutes	55 times	10	
		60 times	15	
		65 times	20	10
		70 times	25	

Note:- 1- The candidates who obtain 45 marks in all the above four events shall be considered successful and if a candidate appears in only three items and obtains 45 marks or more then he/she shall also be considered successful.

2- Unsuccessful candidates shal. be replaced by new candidates.

3- Candidates shall obtain proportionate marks on the basis of his performance in different events as refelected in above table.

(ii) **Vyayam Prashikshak :**

Male and female candidates fulfilling the physical criteria mentioned in rule 13 shall need to attain the prescribed minimum marks in following genres:

For male candidates:

(i) Indian Exercises :

S.n.	Name of event	Maximum marks	Minimum required marks
1	Malkhamb	25 marks	A candidate should attain a minimum of 50 marks in these three events
2	Aasana		
3	Mugdar		

(ii) Gymnastic

S.n.	Name of event	Maximum marks	Minimum required marks
1	Parallel-Bar	25 marks	A candidate should attain a minimum of 75 marks in all five events.
2	Horizontal Bar		
3	Vaulting Horse		
4	Pomelled horse		
5	Floor exercise		

For female candidates:

(i) Indian exercise:

S.n.	Name of event	Maximum marks	Minimum required marks
1	Aasana	25 marks	A candidate should attain a minimum of 33 marks in all two events.
2	Mugdar		

(ii) Gymnastic

S.N.	Name of event	Maximum marks	Minimum required marks
1	Vaulting Horse	30 marks	A candidate should attains a miaimum of 60 marks in all four events.
2	Floor exercise		
3	Balancing Beam		
4	Uneven Bar		

Preferential qualifications

9. A candidate who has :

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps, or

(iii) who has youth work experience in respect of any post or who has acquired proficiency in sports, or

(iv) In relation to the post of Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer, on the 1st July of the year of recruitment, he has served in the organization as Block Commander or Halka Sardar or Dalpati for at least three years, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment

Essential/ desirable qualifications

9(A). The Essential/ desirable qualification shall be according to the provisions of Essential/desirable Qualification for the Recruitment of Group "C" post within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the

Purview of the Public Service Commiss.on, Ruls, 2010, as amended from time to time.

Age

10. A candidate for direct recruitment, if the vacancies are advertised for the period of 01 January to 30 June, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of January and if the vacancies are advertised for the period of 01 July to 31 December, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of July:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11 The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note: - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate, who has more then one huband a living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from operation of this rule.

Physical fitness 13. (1) No such candidate shall be appointed to any post in the service, unless he be in good mental and bodily health and is free from any such physical defect, likely to interfere in the efficient discharge of his duties.

(2) Before a candidate is finally approved for appointment in the service, he shal. be required to submit a medical certificate of fitness as per the rules made under the Fundamental rule-10 contained in Chapter-III of Financial Handbook volume-II Part III

Provided further that in order of section 33, the posts identified for this and the categories identified under section- 34 of the Rights of persons with Disabilities Act.2016(Act. no-49of 2016) the disabled shall not be denied the appointment as per rules.

(3) The minimum physical measurement expectations for the post of Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer and Vyayam Prashikshak or shall be following:-

(i) Male candidate:

(a) Minimum height for the General/ Backward and Scheduled Castes Candidates - 165 Cm.

(b) Minimum height for the hilly area candidates - 160 Cm.

(c) Minimum height for the Scheduled Tribes candidates- 157 5 Cm.

(d) Chest for the General/ Backward and Scheduled Caste candidates-

(1) without expansion- 78.8 Cm.

(2) with expansion - 83.8 Cm.

(e) Chest for the hilly area/ Scheduled Tribes candidates-

(1) without expansion - 76.3 Cm

(2) with expansion - 81.3 Cm.

Note: Minimum 5 Cm expansion is compulsory.

(ii) Female Candidate.

(a) Minimum height for the General/ Backward and Scheduled castes Candidates - 152 Cm

(b) Minimum height for the hilly area/ Scheduled tribes candidates - 147 Cm.

Note: Minimum weight shall be 45 Kg.

PART V— Procedure for recruitment

Determination of Vacancies

14. The Appointing Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6, and inform the same to the Uttrakhand Subordinate Selection Service Commission.

Procedure for direct recruitment

15. (1) The appointment for direct recruitment in the service shall be made in accordance with the Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2008

(2) The applications received by the Commission shall be scrutinized and the candidates found eligible will be tested for the physical criteria mentioned in rule 13 and physical efficiency mentioned in subrule (3) of rule 8 by the selection committee constituted as follows-

(i) District Magistrate or an officer nominated by him- Chairperson;

(ii) Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police or officer nominated by him- Member;

(iii) District Sports Officer or an officer nominated by him- Member;

(iv) District Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal officer- Member Secretary.

Provided that for the purpose of recruitment to the post of Vyayam Prashikshak the Committee shall co-opt an expert in Indian exercise as an additional member

(3) On the basis of the test conducted by the selection committee and the recommendation made, the result of the candidates who have passed the physical criteria and efficiency test shall be declared by the commission and those who fulfill the prescribed physical standards and then will be eligible for the post of Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal officer. The Commission shall conduct a written test for the candidates who qualify the skill test and exercise performance test for Vyayam Prashikshak . Name in the list shall be more than the number of vacancies (but not more than 25 percent). The list shall be forwarded by the commission to the Appointing Authority

Note:- Rules and syllabus of competitive examination shall be prescribed by Commission from time to time.

PART VI — Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment 16. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule15 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be,

(3) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1) If no candidate of the lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. On ad-hoc bases Such appointments shall not last for a period exceeding one

year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier

Probation 17 (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of up to which the period is extended:

Provided that save in exceptional circumstances, the period for probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 18. (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or extended a period of probation, if-

(a) He has passed the prescribed departmental examination if any

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(c) his integrity is certified; and

(d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

19. The seniority of persons appointed on a substantive post in service shall be determined in accordance with the provisions of "Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002".

PART VII- Salary etc

Pay Scale

20. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules shall be such as given in the Appendix-A

Pay during probation

21 (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already, in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passes departmental examination and underfore train ing, where prescribed and second incerement after two years of service when he has completed the prebation period and in also covfimed

Provided that if the period of probation is

extended of account of failure to give satisfaction such period of extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority, directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such period of extension shall not be counted for increment unless the Appointment Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII — Other Provisions

Canvassing

22. No recommendation either written or oral, other than those required under the rules applicable to post or service shall taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly, or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

23. In regard to the matters not specifically covered by these Rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service

24. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any

particular case it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions at it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the commission, the commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

Savings

26. Nothing in those rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section and Other Categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX—'A'

[See Rules 4 (2) and rule 20 (2)]

S.n.	Name of post	Pay scale and grade pay (in rs.)	Number of posts
1	Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer	Level-5 29,200-92,300	95
2	Vyayam Prashikshak	Level-5 29,200-92;300	63

By Order,

DEEPENDRA KUMAR CHAUDHARI,

Secretary

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

अधिसूचना

18 मार्च, 2023 ई0

सख्या 163/XXIV-4/2023-10(19)2021 राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2023" है
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय– बारह के विनियम 14(7) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में जोड़े स्तम्भ–1 में दिये गये अध्याय–बारह के विद्यमान विनियम 14 (7) के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ– 1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ– 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं–	उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं–
1 वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा	1 वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा
2 वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।	2 वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा
3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा	3 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
4 गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याविनोद (इण्टरमीडिएट) परीक्षा, (दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष उत्तीर्ण किया गया हो)।	4. गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याविनोद (इण्टरमीडिएट) परीक्षा, (दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष उत्तीर्ण किया गया हो)
5 रजिस्ट्रार अरबी, फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।	5 रजिस्ट्रार अरबी, फारसी परीक्षाएं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित आलिम परीक्षा
6. जामिया–मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित एस0एस0सी0 (सीनियर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट) परीक्षा।	6. जामिया–मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित एस0एस0सी0 (सीनियर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट) परीक्षा।
7 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा सचालित सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	7 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।

8. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान उज्जैन (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान) के द्वारा गठित/अनुमत भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि योगपीठ, फेज–II महर्षि दयानन्द ग्राम, हरिद्वार द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट (12वीं) परीक्षा।

अध्याय– चौदह के विनियम 2 का संशोधन

3. मूल विनियम में स्तम्भ–1 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–चौदह के विद्यमान विनियम 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ– 1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ– 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं–	उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं–
1 वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।	1 वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा
2. वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।	2. वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा
3 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।	3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।
4. गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।	4. गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा
5 जामिया–मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गयी है	5 जामिया–मिलिया इस्लामिया दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गयी है
	6 महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान उज्जैन (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान) के द्वारा गठित/अनुमत भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि योगपीठ, फेज–II महर्षि दयानन्द ग्राम, हरिद्वार द्वारा संचालित हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।

n pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of nd a, the Governor is pleased to make Regu ations order the publicat.on of the following English translation of notification No.163/XXIV-4/2023-10(19)2021 Dated March 16, 2023 for general information

NOTIFICATION

March 16, 2023

No 163/XXIV-4/2023-10(19)2021–In exercise of the powers conferred by sub sect on (4) of section 18 of the Uttarakhand School Education Act. 2006, the Governor is pleased to fo lowing regulations w th a view to amend the Uttarakhand Board of School Ed.cation Reg.lations 2009

The Uttarakhand School Education Board (Amendment) Regulations, 2023

Short title and commencement 1 (1) This regulations may be called the Uttarakhand Board of School Educat.on (Amendment) Regulations 2023"

(2) They shall come into force at once.

Amendment of regulation 14 2 In the Uttarakhand Board of School Education Regulations ,2009 (herein after referred to as the principal Regulat ons), in the chapter XII existing clause (c) of regulation 14(7) set out in column-1 herein below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing Clause	Column 2 Clause hereby substituted
In addition to the above, the fo lowing .nstitutions are also included in the recognized .ist :-	In addition to the above, the following institutions are also .ncluded in the recogn zed list :-
1. Uttar Madhyama Examination conducted since 2002 by the Secondary Sanskrit Education Board ,Uttar Pradesh.	1. Uttar Madhyama Examination conducted since 2002 by the Secondary Sanskrit Education Board, Uttar Pradesh.
2. Uttar Madhyama Examination conducted since 2005 by Uttarakhand Education and Examination Board/ Uttarakhand Board of School Education	2. Uttar Madhyama Examination conducted since 2005 by the Uttarakhand Education and Exam.nation Board/Uttarakhand Board of Schoo. Education.
3. Uttar Madhyama Examination conducted by the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi	3. Uttar Madhyama Examination conducted by the Sampurnanand Sanskrit Un.versity, Varanasi.

4. Vidhyavinod (Intermediate) examaination (must have passed two years course every year) conducted by the Gurukul University, Kangri (Haridwar)	4. Vidhyavinod (Intermediate) examination (must have passed two year course every year) conducted by Guruku. University, Kangri (Haridwar)
5. Alim examination conducted by Registrar, Arabic-Persian examination, Uttar Pradesh, Allahabad.	5 Alim examination conducted by Registrar, Arabic-Persian examination, Prayagraj, Uttar Pradesh.
6 SSC (Senior Secondary Certificate) examination conducted by Jamia-Millia Islamiya, Delhi.	6. SSC (Senior Secondary Certificate) examination conducted by Jamia-Millia Islamiya, Delhi
7. Senior Secondary School Certificate examination conducted by Aligarh Muslim University, Aligarh.	7. Senior Secondary School Certificate examination conducted by Aligarh Muslim University, Aligarh
	8. Intermediate (12th) examination conducted by the Bhartiya Shiksha Board, Patanjali Yogpeeth, Phase II, Village Maharishi Dayanand Gram, Haridwar Constituted/permitted by the Maharishi Sandipani Rashtriya Vedvidhya Pratishthan,Ujjain. (An autonomous institution under the Ministry of Education, Government of India)
Amendment of regulation 2 of chapter XIV	3 In the principal Regulations, for the existing clause(c) of regulation 2 of chapter XIV set out in Column 1,the clause (c) as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-
Column 1 **Existing Clause**	**Column 2** **Clause hereby substituted**
In addition to the above, the following institution are also included in the recognized list:-	In addition to the above, the following institutions are also included in the recognized list:-
1. Poorva Madhyama Examination conducted since 2002 by the Secondary Sanskrit Education Board, Uttar Pradesh.	1. Poorva Madhyama Examination conducted since 2002 by the Secondary Sanskrit Education Board. UttarPradesh.
2. Poorva Madhyama examination conducted since 2005 by the Uttarakhand Education and Examintion Board/ Uttarakhand Board of School Education.	2. Poorva Madhyama examination conducted since 2005 by the Uttarakhand Education and Examintion Board/ Uttarakhand Board of School Education.

3 Poorva Madhyama Examination conducted by the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi.	3 Poorva Madhyama Examination conducted by the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi
4. Vidhyadhikari Examination conducted by the Gurukul University Kangri,(Haridwar).	4. Vidhyadhikari Examination conducted by the Gurukul University,Kangri (Haridwar).
5 Jamia Higher Secondary Examination conducted by the Jamia Milliya Islamiya, (earlier known as junior examination) with the restriction that they are not passed in the sections	5 Jamia Higher Secondary Examination by the Jamia Milliya Islamiya,Delh. (earlier know as junior examination) with the restriction that they are not passed in the sections.
	6. High School (10th) examination conducted by the Bhartiya Shiksha Board, Patanjal Yogpeeth, Phase II, Village Maharishi Dayanand Gram, Haridwar constituted/ permitted by the Maharishi Sandipani Rashtriya Vedvidhya Pratishthan, Ujjain (autonomous institution under the Ministry of Education ,Government of India.

By Order

RAV NATH RAMAN,

Secretary.

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

13 मार्च, 2023 ई0

संख्या I/105671/2023–उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली–2011 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित जिला विकास अधिकारी / सहायक आयुक्त / सहायक परियोजना निदेशकों को परियोजना निदेशक के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–7600 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 78800–209200 लेवल–12) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती शिल्पी पंत
2.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह
3.	श्री कैलाश नाथ तिवारी

2 उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान तैनाती जनपद में योगदान करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन एवं आयुक्त ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारियों द्वारा अपने पूर्वपदीय दायित्वों का यथावत निर्वहन किया जाता रहेगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

13 मार्च, 2023 ई0

संख्या I/105673/2023–उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली–2011 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारियों को जिला विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त/सहायक परियोजना निदेशक के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–6600 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 67700–208700 लेवल–11) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती निर्मला जोशी
2.	श्रीमती अनीता पंवार

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान तैनाती जनपद में योगदान करते हुए कार्यभार प्रभारक शासन एवं आयुक्त ग्राम्य विकास को उपलब्ध करायें सुनिश्चित करें।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारियों द्वारा अपने पूर्वपदीय दायित्वों का यथावत निर्वहन किया जाता रहेगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

13 मार्च, 2023 ई0

संख्या I/105669/2023–उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली–2011 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित परियोजना निदेशकों को मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त/सयुक्त विकास आयुक्त के पद पर वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे–8700 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 118500–214100 लेवल–13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1	श्री संजय कुमार सिंह
2.	श्री प्रकाश रावत
3.	श्री रमेश चन्द्र तिवारी

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान तैनाती जनपद में योगदान करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन एवं आयुक्त ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारियों द्वारा अपने पूर्वपदीय दायित्वों का यथावत निर्वहन किया जाता रहेगा

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

नितिका खण्डेलवाल,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/83-भाग 1 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2023 ई0 (चैत्र 04, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

[redacted]

February 27 2023

No. 43/XIV/8/Admin.A/2008--Ms Reena Negi Additional District & Sessions Judge/F T C (POCSO), Rudrapur D str ct Udham S ngh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 16.01.2023 to 28.01.2023 with perm ss on to pref x 14.01.2023 & 15.01.2023 as second saturday and Sunday no idays respectively and suff x 29.01.2023 as Sunday.

NOTIFICATION

February 27, 2023

No. 44/XIV-a/57/Admin.A/2012--Ms Arti Saroha 3rd Add t ona Civi Judge (Sr D v), Dehradun s hereby sanctioned

Sl No	Type of leave	Duration
(i)	Maternity leave	11 03 2022 to 06 09 2022 (180 days)
(ii)	Chi d Care eave	07 09 2022 to 06 02 2023 (153 days)

By Order of Hon ble the Administrative Judge

Sd/

I/c Reg strar (Inspection)

NOTIFICATION

February 27 2023

No 45/XIV-a/59/Admin.A/2012--Ms Paya Singh Civil Judge (Sr Div), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 23.01.2023 to 05.02.2023.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge
Sd/
I/c Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

February 27, 2023

No. 46/XIV-a-37/Admin.A/2020--Shri Anurag Tripathi, Civil Judge (Jr Div), Rudrprayag is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 21.11.2022 to 05.12.2022 with permission to prefix 20.11.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 27 2023

No. 47/XIV-a-37/Admin.A/2015--Shri Mithilesh Pandey Additional Chief Judicial Magistrate Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 05.01.2023 to 19.01.2023.

NOTIFICATION

February 27 2023

No. 48/XIV-a/39/Admin.A/2012--Ms Sweta Pandey, Civil Judge (Sr Div) Rudrepur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 02.01.2023 to 21.01.2023 with permission to prefix 25.12.2022 to 31.12.2022 as Christmas holidays, 01.01.2023 as Sunday holiday and suffix 22.01.2023 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
I/c Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

February 27, 2023

No. 49/XIV-a-35/Admin A/2017--Shri Vivek Singh Rana 1st Additional Civil Judge (Jr Div) Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 13 days w.e.f. 03.01.2023 to 15.01.2023.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge
Sd/
I/c Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

February 27, 2023

No 50/XIV-a-32/Admin.A/2016--Ms A shwarya Bora Civi Judge (Jr Div) Roorkee Distr ct Har dwar is hereby sanctioned child care leave for 16 days w.e.f. 06.01.2023 to 21.01.2023 with perm.ss.on to s.ffix 22.01.2023 as Sunday ho.iday.

By Order of Hon'ble the Admin strat ve Judge

Sd/-

I/c Reg strar (Inspection)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/83–भाग 1 क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या :UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2023 ई0 (चैत्र 04, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी सं 206872746 में मेरा घरेलू नाम रीति गुलाटी दर्ज हो गया है। जबकि रीति गुलाटी व मीनू चौजर दोनों मेरे ही नाम हैं। मैंने अपना नाम रीति गुलाटी एवं मीनू चौजर से बदलकर शादी के उपरांत अपना नाम मीनू गुलाटी कर लिया है। भविष्य में मुझे मीनू गुलाटी पत्नी गौरव गुलाटी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मीनू गुलाटी पत्नी गौरव गुलाटी

निवासी मo नं0 590, गली नं0 13

रामनगर, रुड़की।

सूचना

मेरा नाम त्रुटिवश पति के सैन्य अभिलेखों में दुर्गा देवी अंकित है। जबकि सही और वास्तविक नाम देवेश्वरी चौहान, जो आधार कार्ड के अनुसार सत्य और सही है। भविष्य में मुझे देवेश्वरी चौहान के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

देवेश्वरी चौहान पत्नी नारायण सिंह चौहान
निवासी बाबूगढ़, विकासनगर।

सूचना

मेरी कक्षा 12 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की अंकतालिका 340185193095 में मेरा नाम त्रुटि से अंकित (ANKIT) दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम अंकित सैन (ANKIT SAIN) है। भविष्य में मुझे (ANKIT SAIN) पुत्र श्री गिरधारी लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंकित सैन (ANKIT SAIN) पुत्र गिरधारी लाल
निवासी एन–103 एम0डी0डी0ए0 कालोनी
फेस–2, मोहब्बेवाला, देहरादून।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम कुन्दन लाल से बदलकर कुन्दन लाल भटट कर लिया हैं भविष्य में मुझे कुन्दन लाल भटट पुत्र श्री चन्द्र मोहन भटट के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कुन्दन लाल भटट पुत्र श्री चन्द्र मोहन भटट
निवासी ई 246 एम0डी0डी0ए0 कालोनी
केदारपुरम पो0ओ0 डिफेन्स कालोनी जिला
देहरादून उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

उपविधि सूचना

01 फरवरी, 2023 ई0

पत्रांक 2034/XV-18--

1 नगर पालिका परिषद नैनीताल के अधिनियम सरकारी गजट उ0 प्र0 दिनाक- 1 नवम्बर 1997 द्वारा नगर पलिका परिषद नैनीताल अपनी सीमान्तर्गत ट्रैफिक को नियंत्रित एंव विनियमित करने हेतु बनाये गये प्रचलित उपविधि मे विज्ञप्ति सख्या 683 दिनांक 14 फरवरी 1997 म्यूनिस्पिल एक्ट 1916 की धारा 298 एव उपविधि सख्या 12 अ में प्रचलित दरो के स्थान पर मोटर साईकिल को छोड़कर स्थानीय निजि वाहनो पर पूर्ववत्त 500 के स्थान पर 800 रू व व्यवसाय में लगे वाहनो (टैक्सी) पर रू 1500 के स्थान पर 2000 रू (स्टीकर शुल्क के साथ) प्रस्तावित किया गया है। उक्त राशी अदा करने पर वार्षिक पास जारी किये जायेंगे एंव शायकीय एंव अर्द शासकीय वहनों पर भी उक्त दरें लागू होंगी।

2. लेक ब्रिज प्रवेश शुल्क में एकरूपता/समानता लाने के लिए (प्रतिफेरा) जो पूर्व में अलग-अलग समय के अनुसार 50 रू व 100 रू था (उपविधि 2009 के अनुसार 12 ए में संसोधन) को अकंन रू0 100 निर्धारित किया जाता है।

3. नगर पालिका परिषद नैनीताल सीमान्तर्गत बाई लॉज अन्डर सेक्सन 298 (2) हैड ऐच टू एल घरेलू पालतू कुत्ते का लाईसेन्स जो रू100 था प्रतिवर्ष था को संशोधित कर रू 500 किया जाता है जो कलेन्डर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक मान्य होता है। लाईसेन्स ना बनाये जाने कि दशा में अंकन 5000 तक का जूर्माना किया जायेगा ।

उक्त सूचना प्रकाशित होने कि तिथि के 12 दिवस के भीतर लिखित आपत्ति एंव सुझाव आमत्रित किये जाते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो एंव सुझाव पर विचार नही किया जायेगा

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद नैनीताल

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद नैनीताल।

नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर, जिला हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

07 फरवरी, 2023 ई0

पत्रांक 79/सम्पत्ति/भवन कर उपविधि–2022–23–नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार के सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 298 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) की धारा–298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य या दोनो के वार्षिक मूल्य पर भवन/सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर द्वारा "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2016–18" बनायी गई है,

"सम्पत्ति/भवनकर उपविधि - 2022-23"

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ -

क - यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि - 2022-23" कहलायेगी।

ख - यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर की सीमा मे प्रवृत होगी।

ग - यह उपविधि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं -

किसी विषय या प्रसंग से कोई बाधा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि मे-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर की सीमाओं से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी आधकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड) "बोर्ड" का तात्पय नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथायत प्रभावी) संशोधन से है।

(छ) "वार्षिक" मूल्यांकन का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा -140 व धारा- 141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) "सम्पत्ति/भवनकर " का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा-128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) "समिति" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा-104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ए) "भवन एंव भूमि " का तात्पर्य नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि से है।

(फ) "स्वामी " का तात्पर्य भवन एंव भूमि के स्वामी से है।

(ब) "अध्यासी " का तात्पर्य नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि पर किराये मे रहने वाले व्यक्तियों से है।

3- वार्षिक मूल्यांकन- नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा-142 (2) के अन्तगर्त कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों चाहें वे सदस्य हो, या ना हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्तियों/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है। सम्पत्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरिक्षण कर सकते है। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नियमानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासियों भवनों की दशा में भवन-निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मुल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मुल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तगर्त न आने वाली किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुणा मुल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थित, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में वास्तु न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे, जैसे निहित किए जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तगर्त न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थित, ऐसे आवासीय एंव अनावसीय (दुकानदार) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फीट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये के 12 गुणा पर मूल्यांकन निर्धारण हेतु किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पंचायत कि राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मुल्य, यदि उपर्युक्त विधि से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयपूर्ण प्रतीत हो, मूल्य नियत कर सकती है।

1– वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी-

I- कक्ष- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

II- आच्छादित बरामदा- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

III- बालकोनी, गलियारा, रसोई, घर और भण्डार गृह- आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

IV- गैराज- आन्तरिक आयाम की एक चैथाई माप,

V- स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अगं नही होगा।

2– 3090 शहरी भवन (किराये पर देनेए किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन मासिक किरायाए या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नही लिया जायेगा ।

3– सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मुल्यांकन हेतु सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एंव भूमि का मौके पर निरिक्षण करने के उपरान्त यथास्थित के अनुसार किया जोयेगा ।

4– भवन एंव भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगाए परन्तु निम्नलिखित भवन एंव भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मन्दिर, गुरूद्वारेए मस्जिद अथवा दूसरी धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन होए परन्तु जो स्थान अथवा स्थानो के भाग से किराये या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है उस पर छुट के नियम लागू नही होगें।

(ख) अनाथालयए स्कूलए छात्रावासए चिकित्सालयए धर्मशालाएं तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओ की सम्पतियाँ और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो।

(ग) नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर की समस्त सम्पतिया

5– सम्पत्ति/भवनकर पर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक 20ः की छुट प्रदान की जायेगी तथा 01 जनवरी से 31 मार्च तक जमा होने वाले गृहकर पर कोई छुट देय नही तथा 31 मार्च के पश्चात जमा होने वाले विगत वर्ष के गृहकर पर 05ः अधिभार देय होगा।

6– कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एंव भवन के वार्षिक मुल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एंव निरिक्षण के लिए नगर पालिका कार्यालय मे अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र मे इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एंव निरिक्षण करना हो वे नगर पालिका कार्यालय मे आकर का निर्धारण सूचियों का अवलोकन एंव निरिक्षण कर सकते है, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी होगी और कर निर्धारण सूचियो मे प्राप्त आपत्तियों को मौहल्लो/वार्ड द्वारा क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एंव निस्तारण पंजिका मे अंकित किया जायेगा।

7– आपत्तियों का निस्तारण- भूमि एंव भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एंव निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा-104 के अन्तगर्त गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगा

(क) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एंव समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।

(ख) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एंव निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका मे जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

(ग) शासनादेश सं0 2054/नौ-9-97-79 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एंव कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिए गए निर्देशानुसार दी जायेगी।

8- कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा-

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेग

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय मे जमा किया आयेगा।

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों मे उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कारवाई होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवन कर मांग एंव वसूली पंजिका मे अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -166 के अन्तगर्त दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिए गये निर्देशानुसार करनी होगी।

9– कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की कर निर्धारण सूची पर अपना नाम स्वामी के रूप मे दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण ना हो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

10– जब इस बात मे शक हो के भवन या भूमि पर की जिसका नाम स्वामी के रूप मे दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट-1916 की धारा 143-(3) के अधीन हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चित उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रदद ना कर दे।

11– (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जाये, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गई हो, तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

11–(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा

12–(1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

12– (2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई० के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

13– उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर इस भाग का वार्षिक मूल्य अलग अलग एक नोट में दर्ज किया जाये और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है या किराये के लब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिए किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जाये जो कि उक्त एक्ट की धारा 151(1) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड रु 1000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रु 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

अजय कुमार अष्टवाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर
जनपद हरिद्वार।

गोपाल राम बिनवाल,
प्रशासक,
नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर
उपजिलाधिकारी लक्सर,
जनपद हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/83 –भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।